न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/132/2024 रजू दिनांकः 04.10.2024 रजि0 न0 2024/239

अपीलार्थीः—

श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री जय सिंह, निवासी पीएनबी शिवाजी पार्क के सामने अलवर, जिला अलवर—301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—–:: निर्णय ::—–

दिनांकः— 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 25.09.2024 पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 14.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक य0आई0टी/आर.टी.आई./2024/8386 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने आवेदन क्रमांक 3755/12.07.2024 के द्वारा दिनांक 06.08.2024 में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 3469 दिनांक 22.07.2024 से बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 12.07.2024 के द्वारां वांछित सूचना दिनांक 06.08.2024 में बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 3469 दिनांक 22.07.2024 से बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जाकर प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अंकित किया है, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अंकित पत्रांक पत्रांक 3469 दिनांक 22.07.2024 की प्रतिलिपि न्यायालय को ना भिजवाई जाकर अपीलार्थी को संबोधित कोई अन्य पत्र क्रमांक 6649 दिनांक 17.10.24 की प्रति भिजवाई गई है जिससे यह प्रतीत होता हो की उक्त पत्र दिनांक 22.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाकर सूचना से अवगत गया हो। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)